an>

Title: Need to formulate strict law for preventing crimes against women in the country.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, 15वीं लोक सभा में जब दिल्ली में देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ था तो जस्टिस जे.एस. वर्मा की एक कमेटी गठित की गई थी और जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को हमने टोटैलिटी मे इस उम्मीद के साथ स्वीकार किया था कि शायद उस अमेंडमेंट के बाद देश की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बहुत कठोर कानून बन गया है लेकिन इसके बावजूद रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो एक चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 2013 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में 32546 केसेज हुए और इसमें पूरे देश की तुलना में 10.51 प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। स्थिति यह है कि रेप के केसेज बढ़ रहे हैं और कंविक्शन लगातार घट रहा है। यह भी नेशनल क्राइम ब्यूरो की ही रिपोर्ट है: "The UP conviction rate reported in 2012 stood at a mere 50.3 per cent." अगर कहीं न कहीं रेप करने वाले दोषी लोग या उस तरह के अपराधी कंविक्ट नहीं होंगे, छूट जाएंगे तो निश्चित तौर से उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए आज चिंता का विषय यह है कि क्या केवल कानून बना देने से यह सब रुक जाएगा क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में, राजधानी में घटना हुई, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति हुई और उसके बाद जिस तरीके से एक वर्ष में 3050 केवल रेप की घटनाएं वर्ष 2013 में हुई, यानी 8 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। इसलिए यह चिंता का विषय है क्योंकि केवल यह कह देना कि अनसेफ नहीं है, घटनाएं कम हो रही हैं या अधिक हो रही हैं। सदन को चिंता करनी चाहिए कि हम एक कठोर कानून बनाने के बाद भी हम अपने देश की महिलाओं को जिनको "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" जहां एक ओर हम अपनी नारियों को देवी के रूप में निरूपित करते हैं और आज 8 रेप की घटनाएं प्रतिदिन हों तो यह एक चिंता का विषय है। इसलिए इसका संज्ञान लेकर जिम्मेदारी से इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।